

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक ०१/०४/२०२१

विषय :- वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के मांग संख्या- ५०-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-२७०२- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-०२-भू-जल, लघु शीर्ष-००५ अन्वेषण, उप शीर्ष-०१ सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में बजट मुख्य शीर्ष २७०२- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ५० जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ २७०२-लघु सिंचाई	०२- भू-जल	००५-अन्वेषण/ ०१-सर्वेक्षण एवं जॉच	<b>6340.000</b>

कुल आवंटित राशि - रूपये तिरेसठ करोड़ चालीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के बजट उपबंध रु. ११२९३.२७ लाख (एक सौ बारह करोड़ तिरानवे लाख सताईस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, एवं १६८१(वि०) दि० १६.०६.१५ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 05

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड़ा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सारायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी अनु० :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार )  
सचिव

ज्ञापांक :- 05

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशांता-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार )  
सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिचाई/उप मुख्य शीर्ष-02 भूजल  
लघु शीर्ष-005 अचेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉर्च

०५ ०१/०५/२१

पत्रांक..... दिनांक..... का अनुलग्नक

क्र० सं	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विस्तृत शीर्ष-01-बेतन एवं खर्च		विस्तृत शीर्ष-02-देशीय यात्रा		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक यात्रा		विस्तृत शीर्ष-04-मोटरवाहियां		विस्तृत शीर्ष-07-राशि लाख रुपये में				
		बेतन	एल०टी०३०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किरणा, दरे.	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसरा प्रयोग	वर्दी	विधुत व्यय	माटरवाहिया इधन एवं मरम्मति			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुख्य अभियंता, लघु सिचाई, टुमका	18.00	0.00	0.40	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.80	0.00	19.90	
2	मुख्य अभियंता लघु सिचाई, रोंची	150.00	0.00	0.40	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.80	0.00	151.90	
3	योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3,रोंची	50.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.70	0.00	51.55	
4	लघु सिचाई अंचल-चार्वाका	19.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	20.35	
5	लघु सिचाई अंचल, टुमका	120.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	121.35	
6	लघु सिचाई अंचल, देवधर	16.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	17.35	
7	लघु सिचाई अंचल-भेदिनीगढ़	80.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	81.35	
8	लघु सिचाई अंचल-रोंची	80.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	81.35	
9	लघु सिचाई अंचल-हजारीबाग	70.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	71.35	
10	लघु सिचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल,टुमका	30.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	30.90	
11	लघु सिचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-रोंची	189.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	190.10	
12	लघु सिचाई प्रमंडल-कोडसा	123.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	124.00	
13	लघु सिचाई प्रमंडल-खूंटी	146.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	147.10	
14	लघु सिचाई प्रमंडल-गढ़वा	136.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	137.10	
15	लघु सिचाई प्रमंडल-गिरोडिह	160.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	161.00	
16	लघु सिचाई प्रमंडल-गुमला	200.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	201.10	

(राज्योक्ति कुमार दास)  
उप सचिव (आमिन)

(अधिकारी कुमार)  
सचिव (आमिन)

10/05/2021  
(मासांतर कुमार )

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विस्तृत शीर्ष-01-देवन एवं भर्ते शीर्ष-02-याता व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय									विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	सारिलाख रूपयोंमें	
			वेतन	एलटीटीसी	दशेय याता	कार्यालय व्यय	किरणा. दरे.	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बद्दी	विघुत व्यय	मोटरगाड़ियां	विधि प्रमार	कुल योग	अनियुक्त
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	लघु सिचाई प्रमंडल-गोडा	220.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	221.10		
18	लघु सिचाई प्रमंडल-चतरा	150.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.10	151.20		
19	लघु सिचाई प्रमंडल-चाईबासा	124.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	125.00		
20	लघु सिचाई प्रमंडल-जमशेदपुर	300.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	301.10		
21	लघु सिचाई प्रमंडल-जामताडा	250.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	251.10		
22	लघु सिचाई प्रमंडल-टुमका	400.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	401.10		
23	लघु सिचाई प्रमंडल-धनबाद	170.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	171.10		
24	लघु सिचाई प्रमंडल-पाकड़	160.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	161.00		
25	लघु सिचाई प्रमंडल-बोकारो	220.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	221.10		
26	लघु सिचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	180.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	181.10		
27	लघु सिचाई प्रमंडल-रामगढ़	200.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	201.10		
28	लघु सिचाई प्रमंडल-रौची	425.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	426.10		
29	लघु सिचाई प्रमंडल-लातहार	120.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	121.00		
30	लघु सिचाई प्रमंडल-लोहसदगा	120.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	121.10		
31	लघु सिचाई प्रमंडल-सरापकेला	250.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	251.10		
32	लघु सिचाई प्रमंडल-साहेबगांज	250.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	251.10		
33	लघु सिचाई प्रमंडल-हजारीबाग	160.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	161.10		
34	लघु सिचाई प्रमंडल-हुसौनाबाद	170.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	171.10		
35	लघु सिचाई प्रमंडल-इस्तीकोटा	140.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	141.10		

05  
01/04/2021

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (आमिर)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशात कुमार  
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष-01—केतन एवं भर्ते शीर्ष-02— याजा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03—प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शीर्ष-04— मोटरगाड़ियां इधन एवं नरस्नाति		विस्तृत शीर्ष-05— मोटरगाड़िया विधि प्रमाण कुल योग अभिन्नता		विस्तृत शीर्ष-07— अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में		
क्रमांक	कार्यालय का नाम	केतन	एलांडीली	देशीय याजा व्यय	कार्यालय व्यय	किरण्या, दर्दे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसराष	बद्दी	विधुत व्यय	मोटरगाड़िया इधन एवं नरस्नाति	कुल योग अभिन्नता	राशि लाख रुपये में	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	लघु सिंचाई ऊपाकण एवं मानोदर्शि प्रमङ्गल-टुमका	40.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	41.10	
37	लघु सिंचाई ऊपाकण प्रमङ्गल-टुमका, सिंहर देवधर	220.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	221.10	
38	लघु सिंचाई ऊपाकण प्रमङ्गल, रोची	190.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	191.10	
39	निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, रोची	60.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.50	0.00	61.15	
40	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल-टुमका	60.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	61.00	
41	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल-रोची	80.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	81.10	
42	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल-हजारीबाग	45.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	46.00	
कुल आवंटन —		<b>6291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.10</b>	<b>11.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.40</b>	<b>0.10</b>	<b>6340.00</b>	
<b>कुल आवंटित राशि—</b>														
<b>रु. तिरेसठ करोड़ चालीस लाख मात्र।</b>														

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि. )

(अधिकारी  
कुमार दास)  
सचिव (अधि. )

(प्रशासन  
कुमार)  
सचिव

22-24  
05  
01/04/21